

इसे वेबसाईट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 480]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 2 नवम्बर 2011—कार्तिक 11, शक 1933

गृह (सी-अनुभाग) विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर, 2011

क्र. एफ. 35-98-2009-दो-सी-2.—विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 45 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के अन्वेषण के दौरान एकत्र साक्ष्य का स्वतंत्र रूप से पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन से, एतद्वारा, संचालक, अभियोजन, मध्यप्रदेश को नियुक्त करती है।

No. F-35-98-2009-II-C-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 45 of the Unlawful Activities (prevention) Act, 1967 (No. 37 of 1967), the State Government hereby appoints Director of Prosecution, Madhya Pradesh, Bhopal for the purpose of making an independent review of the evidence gathered in the course of Investigation of offences under the said Act.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मधुकर अग्नेय, उपसचिव।